मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755–2551486–87 फैक्स 2550094

क्र. 5013/MGNREGS-MP/NR-1/16 भोपाल, दिनांक 31/05/2016

प्रति,

1. कलेक्टर /जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला समस्त, (मध्यप्रदेश)।

विषय :– जॉबकार्ड नवीनीकरण हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।

––0––

विषयांतर्गत लेख है कि जॉबकार्ड नवीनीकरण हेतु सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार है –

01. जिलें मे योजना प्रारंभ के समय ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत सभी परिवारों के जॉबकार्ड जारी किये जा चुके है।

02. वर्तमान में सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवारों का पंजीयन नरेगा सॉफ्ट में उपलब्ध है।

03. जॉबकार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया में सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवारों का जॉबकार्ड नम्बर परिवर्तन नही होता है। ऐसी स्थिति में जॉबकार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया अंतर्गत नवीन जॉबकार्ड जारी किया जाना, ग्राम पंचायत पर अतिरिक्त कार्य एवं व्यय का बोझ होगा, जो वर्तमान परिस्थिति में उचित नही है।

04. वर्तमान जॉबकार्ड में मजदूरी को दर्ज करने हेतु संलग्न प्रारूप अनुसार प्रपत्र पॉच वर्ष के लिए जॉबकार्ड में पृथक से जोड़कर मितव्ययता का ध्यान रखते हुए आगामी वर्षों में कार्य किया जाए। (संलग्न – उपरोक्तानुसार)

05. जॉबकार्ड अद्यतन के संबंध में पूर्व निर्देशानुसार जो परिवार विघटित होकर नए परिवार बने है या अन्यत्र से विस्थापित होकर नवीन जॉबकार्ड हेतु मांग करते है उन परिवारों को विधिवत नवीन जॉबकार्ड जारी करना, मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसका नाम काट कर नए मुखिया का नाम दर्ज करना, परिवार के अवयस्क सदस्य जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनकी 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर नाम जोड़ना, परिवार के किसी स्त्री/पुरूष सदस्य की शादी होने पर नाम काटना व जोडना आदि कार्य जो एक सतत प्रक्रिया है निरंतर जारी रहेगी।

उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप जॉबकार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया सम्पन्न की जाना सुनिश्चित करे।

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

क्र. 5015/MGNREGS-MP/NR-1/16 भोपाल, दिनांक 31/05/2016

प्रतिलिपि :–

संभागायुक्त संभाग – .... (समस्त) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

150

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश

प्रदत्त रोजगार एवं मजदूरी भुगतान का विवरण

वित्तीय वर्ष ....

सरल क्र.	अकुशल श्रम करने वाले सदस्य का नाम	जॉबकार्ड की संख्या	जॉबकार्डधारी का खाता क्रमांक	रोजगार हेतु आवेदन की तिथि	तिथियां जिन दिनांकों में कार्य किया गया	कुल कार्य दिवस	कार्य का नाम	योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	मजदूरी भुगतान की गई राशि		मस्टर रोल क्रमांक	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी / पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
										बैंक से	पोस्ट आफिस से		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

नोट :

1. एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त होने के उपरांत लाल लाईन खींचकर क्रियान्वयन एजेंसी सरपंच / विभाग अन्य द्वारा हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित की जावेगी।
2. कोई भी पंक्ति रिक्त नहीं छोड़ी जावेगी।
3. प्रत्येक माह के उपरान्त माह के अंत में उपलब्ध कराए गए रोजगार का माहवार योग दर्शाया जावेगा।
4. परिवार के प्रत्येक सदस्य की प्रवृष्टि पृथक–पृथक की जावेगी।
5. प्रत्येक नवीन प्रविष्टि के पहले पूर्व में प्रदत्त रोजगार तथा भुगतान की प्र[illegible] पूर्ण की जावे।

बेरोजगारी भत्ता का विवरण

सरल क्र	आवेदक का नाम व जॉबकार्ड क्रमांक	वित्तीय वर्ष	भुगतान की राशि	भुगतान का दिनांक	भत्ता के भुगतान की अवधि	भुगत करने एजेंसी हस्ता